न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—पवन कुमार(आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या:—72/2020

1. जालूराम पुत्र श्री बालूराम जाति नायक उम्र 67 वर्ष निवासी 7 एमडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर। ——— **प्रार्थी**

बनाम

1. हीरालाल आयु 65 वर्ष पुत्र बालूराम जाति नायक निवासी 7 एमडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर
2. बादूदेवी पत्नी हरचन्द जाति नायक निवासी 5 एमडी (बी) तहसील अनूपगढ़
3. भंवरलाल पुत्र हरचन्द जाति नायक निवासी 5 एमडी (बी) तहसील अनूपगढ़
4. गुलाबराम पुत्र हरचन्द जाति नायक निवासी 5 एमडी (बी) तहसील अनूपगढ़
5. रूपाबाई पुत्री हरचन्द जाति नायक निवासी 5 एमडी (बी) तहसील अनूपगढ़
6. शान्तिबाई पुत्री हरचन्द जाति नायक निवासी 5 एमडी (बी) तहसील अनूपगढ़
7. कान्ताबाई पुत्री मनफूलराम पुत्र हरचन्द जाति नायक निवासी 5 एमडी (बी) तहसील अनूपगढ़
8. दुर्गाराम पुत्र मनफुलराम पुत्र हरचन्द जाति नायक निवासी 5 एमडी (बी) तहसील अनूपगढ़
9. गौराबाई पत्नी हरीराम पुत्री बालूराम जाति नायक निवासी चक 6 एच तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर
10. उप पंजीयक, अनूपगढ़
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

———**अप्रार्थीगण**

<u>प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

अधिवक्तागण—

1. श्री पवन कुमार चुघ एडवोकेट — प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री गुरबख्श सिंह एडवोकेट — अप्रार्थीगण की ओर से

दिनांक 19.07.21

<u>::निर्णय::</u>

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 7 एमडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. —30 पत्थर सं.—122/12 के किला नं.—5ता8,13ता18,23ता25 का कुल 3.289 हैक्टर कमाण्ड व मुरब्बा नं.—32 पत्थर सं.—122/13 का किला नम्बर 1ता14 ,8ता 10 कुल 1.202 हैक्टर कमाण्ड इस प्रकार कुल 4.491 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के पिता बालूराम पुत्र फूसाराम जाति नायक के नाम से खातेदारी कृषि भूमि आवंटित है उक्त कृषि भूमि को आयदा प्रार्थना पत्र में विवादित कृषि भूमि कहा जाऐगा। जमाबन्दी की प्रति संलग्न है। प्रार्थी के पिता बालूराम का देहान्त हो चुका है जिसके देहान्त उपरांत उसके प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1ता9 व केसरबाई, फूलाबाई, व पप्पूबाई विधिक वारिसान है वादी के पिता बालूराम द्वारा अपनी पुत्रीयों का विवाह अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हे दान दहेज देकर कर दिया था तथा अप्रार्थी सं.2ता8 के पिता [illegible] हरचन्द को चक 5 एम. डी. में 30 बीधा कृषि भूमि आवंटन करवा दी ताकि उनका जीवन यापन अच्छे से चलता रहे। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1 ता9 के पिता/दादा/ससुर/नाना व [illegible] श्री बालूराम समझदार व्यक्ति थे चूंकि उनके तीन पुत्रों में से एक के पास तीस बीधा तथा शेष दो पुत्रों [illegible] व अप्रार्थी सं.1 के पास कोई कृषि भूमि नंही थी तथा आय का अन्य कोई जरिया भी नही था तथा अपनी पुत्रीयों की शादी उन्होंने अपने जीवनकाल में करके उन्हें उनके हिस्सा मुताबिक उनको दान दहेज दे दिया था तथा उनका

Signature Not Verified
Digitally signed by Pavan Kumar
Date: 2021.08.08 16:34:20 IST
Reason: SelfAttested

एक पुत्र हरचन्द उनसे अलग भी रहता था तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1 ही बालूराम की सेवा चाकरी करते थे तथा बालूराम यह भी नही चाहते थे कि वे निर्वसीयत मरे और बाद में उनकी जायदाद को लेकर उनके वारिसो में कोई झगडा फसाद हो इसलिए उन्होने बड़ी समझदारी से अपनी वसीयत में उक्त सभी तथ्य दर्ज करते हुए एक वसीयत दिनांक 21.4.1988 को रोबरू गवाहन के अपनी स्वेच्छा, स्वस्थचित एवं पूर्ण होश हवास से विवादित कृषि भूमि की प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में निष्पादित की ताकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 01 का भी परिवार का जीवन निर्वाह होता रहे। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1 उक्त वसीयत दिनांक 21.4.1988 के मुताबिक ही अपने अपने हिस्सा की आधी–आधी भूमि पर काबिज काश्त है और सिंचाई कर व राजस्व कर अदि मुश्तरका रूप से अदा कर रहे है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वसीयत अनुसार उक्त विवादित कृषि भूमि का पारस्परिक तौर पर घरेलू विभाजन कर रखा है प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1 द्वारा घरेलू मौखिक बंटवारा निम्न प्रकार से किया गया–

<u>प्रार्थी जालूराम के हिस्सा में–</u>

चक 7 एम डी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.30 पत्थर सं.122/12 के किला नम्बर 5,6,15,16,23,24 प्रत्येक 0.253, 25 का 0.190 कुल 1.708 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 32 पत्थर सं. 122/13 का किला नम्बर 4 का 0.088, 8 का 0.013, 9 का 0.126, 10 का 0.228 कुल 0.455 हैक्टर हैक्टर इस प्रकार कुल तदादी 2.163 हैक्टर प्रार्थी ने मुरब्बा नम्बर 122/13 के किला नम्बर 10 में ढ़ाणी बनाकर मय परिवार आबाद है तथा प्रार्थी ने मुरब्बा नम्बर 122/12 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में गेहूं की फसल वर्तमान में बिजांद कर खी है।

<u>अप्रार्थी सं.1 हीराराम के हिस्सा में–</u>

चक 7 एम डी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं. 30 पत्थर सं.122/12 के किला नम्बर 7,8,13,14,17,18 प्रत्येक 0.253 कुल 1.518 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 32 पत्थर सं.122/13 का किला नम्बर 1 का 0.228, 2 का 0.228, 3 का 0.203 हैक्टर कुल 0.659 हैक्टर इस प्रकार कुल तदादी 2.177 हैक्टर अप्रार्थी सं.1 द्वारा मुरब्बा नम्बर 122/12 के किला नम्बर 8 में ढ़ाणी बनाकर सपरिवार आबाद है। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि अप्रार्थी सं.1 ने अपनी उक्त बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि प्रार्थी को ही दिनांक 12.04.2015 से 13.04.2019 तक चार वर्ष के लिए ठेका पर काश्त करने के लिए दी थी जिस बाबत ईकरारनामा दिनांक 10.9.2008 को अप्रार्थी सं.1 ने प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित कर दिया था जिस सम्बंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण विचाराधीन है।

प्रार्थी ने पिता बालूराम द्वारा निष्पादित उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरण हेतू प्रार्थना पत्र श्रीमान् तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ के समक्ष पेश किया जिसके विचारण के दौरान अप्रार्थी सं.1 के मन में लालच वश बेईमानी आ गई तथा अप्रार्थी सं.1 विवादित कृषि भूमि के अधिकाशं भू भाग को हड़पना चाहता था इसी उदेश्य से अप्रार्थी सं.1 ने तीन बहनों केसरबाई, गौराबाई व मीराबाई को अपने प्रभाव में ले लिया और अप्रार्थी सं.1 ने स्वयं और केसरबाई व गौराबाई से एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष वसीयत की इन्कारी बाबत पेश करवाया और प्रार्थी द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरण हेतू प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त करवा दिया। वसीयत के आधार पर नामान्तरण निरस्त होने के उपरांत प्रार्थी ने अपने सामाज के लोगो की मौतीबर पंचायत बुलाई तथा पंचायत के समझाने पर अप्रार्थीगण ने अपनी गलती स्वीकार करते हुऐ प्रार्थी को यह आश्वास[illegible] हम उक्त विवादित आराजी में विरास्तन हिस्सा प्राप्त नही करेगें तथा श्री [illegible] विवादित कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1 ही बहिस्सा बराबर –2 प्राप्त [illegible] की सद्भाविक जानकर एवं पिता बालूराम की वसीयत मुताबिक व उपरोक्त घरेलू मौखिक [illegible]वारा अनुसार विवादित आराजी पर आज रोज तक प्रार्थी निरन्तर अपने हिस्सा में आई कृषि भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की बहन फूलाबाई ने पिता की वसीयत दिनांक 21.4.1988 का सम्मान करते हुऐ अपने हिस्सा की कृषि भूमि की दस्तबदारी प्रार्थी के पक्ष में करवा दी और उसके आधार पर प्रार्थी के नाम से नामान्तरण दर्ज हो गया। लेकिन अप्रार्थी सं.1 के मन में लालच उत्पन्न हो चुका था और वह इस कृ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.08 16:34:20 IST
Reason: SelfAttested

षि भूमि का अधिकांश भाग हड़पना चाहता था अप्रार्थी सं.1 ने शेष तीनों बहिनों की अपने पक्ष में किलेबन्दी करनी शुरू कर दी ताकि वे अपना अपना हिस्सा अप्रार्थी सं.1 अपनी इसी षडयंत्रीय योजना से सफल होते हुऐ प्रतिवादी सं. 9,10 व 12 से उनके हिस्सा की भूमि की दस्तबदारी अपने पक्ष में पिता द्वारा निष्पादित वसीयत को नजरअदांज करते हुऐ करवा ली तथा उक्त दस्तबदारी के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण सं.140 व 142 दर्ज करवा लिए इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा की गई उक्त समस्त कार्यवाही प्रारम्भ से शून्य व प्रार्थी के अधिकारों पर निष्प्रभावी है तथा दस्तावेज दस्तबदारी के आधार पर अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में दर्ज इन्तकाल काबिल निरस्ती के है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि मूल आवंटी बालूराम ने दस्तावेज वसीयतनामा के अनुसार अपनी कृषि भूमि की व्यवस्था कर दी तथा उक्त दस्तावेज वसीयतनामा का अप्रार्थीगण को आरम्भ से ही इलम था जब वसीयत के मुताबिक उक्त विवादित विवादित कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1 के मध्य बहिस्सा बराबर बांटी जानी थी तब ऐसी सूरत में प्रतिवादी सं. 9,10 व 12 का उक्त कृषि भूमि में कोई हक या अधिकार नहीं था तब ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 9,10 व 12 द्वारा दस्तबदारी लिखकर अप्रार्थी सं.1 के हक में अपना हक त्याग करने का प्रश्न ही पैदा नही होगा। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में पंजीकृत कराए गऐ दस्तावेज दस्तबदारी आरम्भ से ही प्रभावहीन व प्रभावशून्य व विधि विरूद्ध दस्तावेज है। मूल आवंटी बालूराम ने अप्रार्थी सं. 2ता8 के पति/पिता दादा हरचन्द को अपने द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 21.4.1988 में कोई हक या हिस्सा नही दिया था इसलिऐ अप्रार्थी सं. 2ता8 उक्त कृषि भूमि को विरास्तन प्राप्त करने के कतई अधिकारी नहीं है अत एवं मूल आवंटी बालूराम की वसीयत अनुसार नामान्तरण दर्ज नहीं कर सभी वारिसान के नाम से राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण की कार्यवाही शुरू से ही प्रभावहीन व प्रभावशून्य है। प्रार्थी ने बार बार अप्रार्थीगण को उनके निवास स्थान पर जाकर समझाया कि उन्होने जो इस कृषि भूमि में सातवां हिस्सा प्राप्त कर रखा है वह कतई तौर पर अवैध एवं निर्थक है अतःएव राजस्व न्यायालय में चलकर वे इस अवैध एवं निरर्थक कार्यवाही को दुरूस्त करवा लेवें जिस पर अप्रार्थीगण ने स्पष्ट इन्कार दिया एवं अप्रार्थी सं.1ता8 ने दिनांक 26.9.2011 को एलानिया कहा कि राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण उनके नाम से दर्ज है व अतिशिघ्र ही इस कृषि भूमि को वो हस्तांतरित, या अन्यत्र रहन बैचान कर विवादित भूमि को खुर्द बुर्द कर देगें जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त प्रतिदावा श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रार्थी निवेदन करता है कि प्रार्थी के पिता स्व. बालूराम द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 21.4.1988 के आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1 का बहिस्सा बराबर हक व अधिकार एवं अधिपत्य निहित है तथा प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 में वर्णित घरेलू मौखिक बंटवारा अनुसार अपने हिस्सा में आई भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त है लेकिन अब अप्रार्थी सं. 1 विवादित भूमि में प्रार्थी को उसके हक अधिकारों से वंचित करने के प्रयासरत है तथा इन्तकाल अपने नाम होने का वेजा फायदा उठाकर उक्त विवादित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने तथा प्रार्थी को उसके कब्जा काश्त की भूमि से जबरन बेदखल करने के प्रयासरत है। जिस सम्बंध में अप्रार्थी सं. 1 ने अर्सा 3 दिन पूर्व यह स्पष्ट धमकी भी दी है कि जमीन रिकार्ड में उसके नाम बोल रही है इसलिए वह अपनी समस्त भूमि को शीघ्र ही अन्यत्र रहन, बेचान कर देगा और वादी को उसके कब्जा काश्त की भूमि से जबरन बेदखल कर देगा अगर अप्रार्थी सं.1 अपने उक्त अवैध मन्सुबे में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षति पुर्ति मुद्रा की एवज मे नहीं हो सकेगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थी उक्त विवादित कृषि भूमि के अपने हक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.08 16:34:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी सं.–1 एवं 9 की तरफ से अधिवक्ता श्री गुरबख्शसिंह उपस्थित। अप्रार्थी सं.–01 ने जरिए वकील जवाब पेश कर निवेदन किया कि चक 7 एम डी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.30 पत्थर सं.122/12, मुरब्बा नं. 32 पत्थर सं.122/13 की कुल 4.491 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी व मुझ अप्रार्थी सं.1 के पिता बालूराम पुत्र फूसाराम जाति नायक के नाम से आवंटित है जो

किसी प्रकार से विवादित नही है बल्कि प्रार्थी द्वारा जानबुझकर इसे विवादित बनाया जा रहा है। बालूराम का देहान्त हो जाना स्वीकार है व उसके विधिक वारिसान भी होना स्वीकार है शेष तथ्य प्रार्थी ने मनगढंत दर्ज करवाऐ है। स्व. बालूराम द्वारा अपने जीवनकाल में तथाकथित वसीयत दिनांक 21.4.1988 प्रार्थी व मन अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित नही की थी बल्कि प्रार्थी ने उक्त तथाकथित वसीयत दिनांक 21.4.1988 तैयार कर माननीय तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ के समक्ष उक्त तथाकथित वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसका निस्तारण स्व. बालूराम के सभी वारिसान को सुनकर दिनांक 29.05.2009 को तहसीलदार भू. अ. अनूपगढ द्वारा किया जाकर स्व. बालूराम के समस्त वारिसान के नाम से विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया गया। जिसकी प्रति संलग्न है। तथाकथित वसीयत दिनांक 21.4.1988 के मुताबिक कोई भी घरेलू बंटवारा प्रश्नगत भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1 के मध्य नही हुआ। अप्रार्थी सं.1 ने उक्त बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि प्रार्थी को ही दिनांक 12.4.2015 से 13.4.2019 तक चार वर्ष के लिए ठेका पर काश्त करने के लिए दी थी। प्रार्थी के उक्त कथन कतई गलत एवं मिथ्या है प्रार्थी ने तथाकथित ईकरारनामा दिनांक 10.9.2008 के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष झुठे एवं मिथ्यों के आधार पर एक वाद पत्र प्रस्तुत किया जो वाद पत्र श्रीमान न्यायालय द्वारा निरस्त फरमा दिया जिस पर श्रीमान न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने अपील न्यायालय में अपील पेश की जो अभी भी निरस्त हुई माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अगर कोई मामला विचाराधीन है तो उस सम्बंध में प्रार्थी ने कोई दस्तावेज पेश नही किया चूंकि प्रार्थी झुठे दस्तावेज बनाकर उक्त भूमि को हथियाना चाहता है जिसका वह अधिकारी नंही है। प्रार्थी ने तथाकथित वसीयत के आधार पर तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर इन्तकाल दर्ज करवाने की कार्यवाही की गई थी जिसमें तहसीलदार द्वारा सभी वारिसान को सुनकर आदेश दिनांक 29.5.2009 पारित हुऐ। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया गया था जिसमें मन अप्रार्थी सं.1 की कोई बेईमानी नहीं थी। प्रार्थी ने झुठे एवं मिथ्या कथन अंकित किए है। ना ही फूलादेवी द्वारा तथाकथित वसीयत का समान करते हुऐ अपने हिस्सा की भूमि की दस्तबदारी प्रार्थी के पक्ष में नही की बल्कि स्व. बालूराम के समस्त विधिक वारिसान के नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज होने के पश्चात एक बहन फूलादेवी द्वारा अपने हिस्सा की भूमि का हक त्याग प्रार्थी के पक्ष में कर दिया व शेष बहनो केसरबाई व गौराबाई एवं मीराबाई मृतक की एक मात्र पुत्री पप्पू बाई ने अपने अपने हिस्सा की भूमि का हक त्याग मन अप्रार्थी के पक्ष में करते हुऐ दस्तावेजात दस्तबदारी मन अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत करवा दी जिसके आधार पर मन अप्रार्थी के नाम से इन्तकाल भी दर्ज हो चुका है। प्रार्थी दो तरफा कथन कर रहा है एक तरफ तो प्रार्थी स्वयं उक्त प्रश्नगत भूमि में अपनी एक बहन फूलादेवी द्वारा अपने हिस्सा का हक त्याग के दस्तावेज दस्तबदारी व उसके आधार पर उसके स्वयं के नाम हुऐ इन्तकाल को तो सही ठहरा रहा है और दूसरी तरफ शेष तीन बहनों द्वारा मुझ अप्रार्थी के पक्ष में की गई दस्तबदारी के दस्तावजों व उनके आधार पर मन अप्रार्थी के नाम से हुऐ इन्तकाल को प्रारम्भ से शून्य व निष्प्रभावी कह रहा है। जबकि केसरबाई व गौराबाई एवं मीराबाई मृतक की एक मात्र पुत्री पप्पू बाई ने अपने अपने हिस्सा की भूमि का हक त्याग मन अप्रार्थी के पक्ष में करते हुऐ दस्तावेजात दस्तबदारी मन अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत करवा दी जिसके आधार पर मन अप्रार्थी के नाम से पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुऐ इन्तकाल दर्ज किया गया जो विधि सम्मत है। स्व. बालूराम द्वारा अपने जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित [illegible] किसी वसीयत की मन अप्रार्थी को कोई जानकारी थी। वसीयत दिनांक 21.4.198[illegible] का [illegible]तारण माननीय तहसीलदार अनूपगढ द्वारा अपने दिनांक 29.5.2009 के द्[illegible] अन्तिम हो चुका है। दिनांक 26.9.2011 का वाका झुठा एवं मिथ्या है प्रार्थी ने झुठे एवं मिथ्या कथनों के आधार पर प्रतिदावा श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश किया है। मन अप्रार्थी द्[illegible] प्रार्थी को कभी कोई धमकी नही दी और ना ही प्रार्थी को कोई अपूर्णिय क्षति ही है प्रार्थी मन अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.08 16:34:20 IST
Reason: SelfAttested

सन्तुलन किसी भी तरह से प्रार्थी के पक्ष में नही बनता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है।

प्रार्थी द्वारा तथाकथित वसीयत दिनांक 21.4.1988 को आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि तथाकथित वसीयत के सम्बध में तहसीलदार राजस्व अनूपगढ द्वारा प्रकरण का निस्तारण दिनांक 29.5.2009 को किया जा चुका है जो आदेश दिनांक 29.5.2009 अन्तिम हो चुका है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मन अप्रार्थी के पक्ष में हुई दस्तावेज दस्तबदारीयों व उसके आधार पर हुऐ नामान्तरण को प्रारम्भ से शून्य व निष्प्रभावी दस्तावेज बताया है जबकि मन अप्रार्थी के पक्ष में हुई दस्तावेजात दस्तबदारी वर्ष 2010 की है जो पंजीकृत दस्तावेज है। जिनको निरस्त करवाऐ बिना प्रार्थी मन अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं है। स्व. बालूराम के नाम की कुल कृषि भूमि में से मन अप्रार्थी के नाम से 4/7 हिस्सा यानि 2.530 हैक्टर भूमि एवं प्रार्थी के नाम से 2/7 हिस्सा यानि 1.265 हैक्टर एवं हरचंद के वारिसान के नाम से 0.527 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी संलग्न है मुझ अप्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने से या प्रवेश करने से नही रोका जा सकता और सह खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी प्रकार से व्यादेश पारित नही किया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्ती के है। अप्रार्थी सं.–2ता9 ने अप्रार्थी संख्या–1की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को ही स्वयं के जवाब के तौर पर स्वीकार किए जाने एवं अलग से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 7 एमडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–30 पत्थर सं.–122/12 के किला नं.–5ता8, 13ता18, 23ता25 का कुल 3.289 हैक्टर कमाण्ड व मुरब्बा नं.–32 पत्थर सं.–122/13 का किला नम्बर 1ता14, 8ता10 कुल 1.202 हैक्टर कमाण्ड इस प्रकार कुल 4.491 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के पिता बालूराम पुत्र फूसाराम जाति नायक के नाम से खातेदारी कृषि भूमि आवंटित है। प्रार्थी के पिता बालूराम का देहान्त हो चुका है जिसके देहान्त उपरांत उसके प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1ता9 व केसरबाई, फूलाबाई, व पप्पूबाई विधिक वारिसान है। अप्रार्थी सं.–2ता8 के पिता/दादा हरचन्द को चक 5 एम. डी. में 30 बीधा कृषि भूमि आवंटन करवा दी ताकि उसका जीवन निर्वाह अच्छी तरह से होता रहे। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1ता9 के पिता/दादा/ससुर/नाना व पड़दादा श्री बालूराम समझदार व्यक्ति थे चूंकि उनके तीन पुत्रों में से एक के पास तीस बीधा तथा शेष दो पुत्रों प्रार्थी व अप्रार्थी सं.1 के पास कोई कृषि भूमि नंही थी तथा आय का अन्य कोई जरिया भी नही था तथा अपनी पुत्रीयों की शादी उन्होंने अपने जीवनकाल में करके उन्हें उनके हिस्सा मुताबिक उनको दान दहेज दे दिया था तथा उनका एक पुत्र हरचन्द उनसे अलग भी रहता था तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1 ही बालूराम की सेवा चाकरी करते थे तथा बालूराम यह भी नही चाहते थे कि वे निर्वसीयत मरे और बाद में उनकी जायदाद को लेकर उनके वारिसो में कोई झगडा फसाद हो इसलिए उन्होने बड़ी समझदारी से अपनी वसीयत में उक्त सभी तथ्य दर्ज करते हुए एक वसीयत दिनांक 21.4.1988 को रोबरू गवाहन के अपनी स्वेच्छा, स्वस्थचित एवं पूर्ण होश हवास से विवादित कृषि भूमि की प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में निष्पादित की ताकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 01 का भी परिवार का जीवन निर्वाह होता रहे। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1 उक्त वसीयत दिनांक 21.4.1988 के मुताबिक ही अपने अपने हिस्सा की अलग–अलग भूमि पर काबिज काश्त है और सिंचाई कर व राजस्व कर अदि मुश्तरका रूप से अदा कर रहे है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वसीयत अनुसार उक्त विवादित कृषि भूमि का पारस्परिक तौर पर घरेलू विभाजन कर रखा है

अपनी बहस के समर्थन निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये

1. AIR 1993 SC Page no-276 Para no.05
2. 2018(2) RRT Page no.848 Para no.9 to 10
3. RLL 1984 HC Page no.791 Para no.20

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.08 16:34:20 IST
Reason: SelfAttested

4. 2010(1)RRT Page 221
5. AIR 1988 Raj 188
6. 2013WLC (Raj)UC 426
7. 2007(3)WLN556(Raj) Para no. 17
8. आर.आर.डी.1999 पेज 339 Para no. 11
9. 2019(1) आरआरटी पी 648 Para no. 07
10. 2019(2) आरआरटी पी 1118 Para no. 08

वकील अप्रार्थी ने अपनी मौखिक बहस में मुख्य रूप से अपने जवाब प्रार्थना पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि स्व. बालूराम द्वारा अपने जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित नही की थी और ना ही ऐसी किसी वसीयत की मन अप्रार्थी को कोई जानकारी थी। वसीयत दिनांक 21.4.1988 का निस्तारण माननीय तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29.5.2009 के द्वारा किया जा चुका है जो आदेश अन्तिम हो चुका है। दिनांक 26.9.2011 का वाका झुठा एव मिथ्या है प्रार्थी ने झुठे एवं मिथ्या कथनों के आधार पर प्रतिदावा श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश किया है। प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया एवं अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

1. 2006 डब्ल्यू. एल.सी. Raj (VC)
2. RBT 2006 Page no. 301

विद्धवान अधिवक्तागण के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है–

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण: प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि मूल आवंटी श्री बालूराम के द्वारा अपनी उक्त स्वअर्जित कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 21.01.1988 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में निष्पादित कर उक्त विवादित भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–01 हीराराम में बराबर–बराबर दे दी थी। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ में पिता द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक–21.04.1988 के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही करवाने हेतु प्रार्थना पत्र भी पेश किया था। चूंकि अप्रार्थी सं.–01 के मन में बेईमानी थी। उसने तीन बहिनों को उनका हिस्स अपने पक्ष मे त्याग करेन हेतु राजी कर रखा था। इसलिए बहिनों से उक्त वसीयत निष्पादित करने से तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष इन्कारी करवादिया। प्रार्थी पिता बालूराम द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक–21.04.1988 के आधार पर उक्त विवादित भूमि में अप्रार्थी सं.–01 के साथ बहिस्सा बराबर का हकदार है।

इसके विपरीत अप्रार्थी सं.–01 ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि पिता ने अपने जीवनकाल में उक्त वसीयत निष्पादित नही करवाई है। प्रार्थी ने उक्त वसीयत फर्जी तैयार कर विवादित भूमि का आधा हिस्सा हड़पना चाहता है। जिसका वह कानूनी अधिकारी नहीं है। अप्रार्थीगण का बहस में यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण उक्त निष्पादित भूमि के खातेदार वा सहकाश्तकारान है, कानूनन खातेदार वा सह काश्तकारान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारीत नही की जा सकती है। अप्रार्थीगण के उक्त तर्को का प्रतिउत्तर देते हुए प्रार्थी ने कथन किया कि पिता बालूराम ने उक्त वसीयत दिनांक 21.04.1988 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित की थी या उक्त वसीयत प्रार्थी द्वारा फर्जी तैयार की गई है। उक्त सारभूत प्रश्न का निर्धारण विचारण के दौरान दोनों पक्षों की साक्ष्य लिया जाकर गुणावगुण पर ही किया जा सकता है। प्रार्थी का यह भी [illegible] के पारिवारिक सदस्यों के अचल सम्पति को लेकर विवाद हो तो खातेदार/ [illegible] निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत पेश कर यह भी कथन किया कि पिता बालूराम के द्वारा अपने जीवन काल मे वसीयत निष्पादन करने से हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान भी लागू नही होते है। इसलिए वर्ततान राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के नाम से जो इन्द्राज है उनसे अप्रार्थीगण को कोई सहायता प्राप्त नही होती।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.08 16:34:20 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की प्रथम दृष्टया प्रकरण पर बहस पर गौर करने एवं न्यायिक दृष्टातों का सम्मान अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में यह सारभूत प्रश्न विद्यमान है कि पिता बालूराम के द्वारा अपने जीवनकाल में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–01 के पक्ष में दिनांक–21.04.1988 को वसीयत निष्पादित की थी या नही उक्त सारभूत प्रश्न का अभि निर्धारण वाद में दौराने विचारण दोनों पक्षों की साक्ष्य लेखबद्ध करने के बाद गुणावगुण पर ही किया जा सकता है। अतः प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से भी उक्त तथ्य व विधिक सिद्धान्तों को बल मिलता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध होता है।

2.सुविधा का संतुलनः–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होता है ऐसी स्थिति में वाद के विचारण के दौरान यदि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रश्नगत भूमि को रहन, बैय अथवा अन्यथा खुर्द बुर्द कर दिया जाता है एवं मूल वाद का निर्णयन गुणावगुण पर सुनवाई पश्चात प्रार्थी के पक्ष में होता है तो न केवल प्रार्थी को असुविधा होगी वरन् भविष्य में लिटीगेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध होता है।

3. **अपूर्णीय क्षतिः**– जहाँ तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होता है ऐसी स्थिति में वाद के विचारण के दौरान यदि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रश्नगत भूमि को रहन, बैय अथवा अन्यथा खुर्द बुर्द कर दिया जाता है एवं मूल वाद का निर्णयन गुणावगुण पर सुनवाई पश्चात प्रार्थी के पक्ष में होता है तो न केवल प्रार्थी को असुविधा होगी वरन् भविष्य में लिटीगेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिससे प्रार्थी अपने सम्पति के अधिकारों से वंचित हो जायेगी। जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. को स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रार्थी मूलवाद के निस्तारण तक प्रश्नगत रकबा वाके चक 7 एमडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–30 पत्थर सं.–122/12 के किला नं. –5ता8,13ता18,23ता25 का कुल 3.289 हैक्टर कमाण्ड व मुरब्बा नं.–32 पत्थर सं.–122/13 का किला नम्बर 1ता14 ,8ता 10 कुल 1.202 हैक्टर कमाण्ड इस प्रकार कुल 4.491 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि को रहन, बैय, दान अथवा अन्यथा हस्तांतरित न करें। रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाकर रखें। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ एवं उपपंजीयक अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16/07/2021 को सरेआम सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.08 16:34:20 IST
Reason: SelfAttested